महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
(आर्थिक सहायता अनुभाग)

एफ.स.40(193)/डी.डब्ल्यू.सी.डी./एफ.ए.एस./विधान सभा/अतारांकित प्रश्न स.211/2021-22/2858-92 दिनांक: 25 MAR 2022

सेवा में,
उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 54

विषय:- अतारांकित प्रश्न संख्या 211 के दिनांक 29.03.2022 के उत्तर सम्बन्ध में।
प्रश्नकर्ता का नाम - माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती ।

महोदय,

उपरोक्त अतारांकित प्रश्नसंख्या 211 के उत्तर कि 100 प्रतियां इस पत्र के द्वारा आपको प्रेषित की जा रही है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास के द्वारा अनुमोदित है।

उत्तर कि प्रतिलिपि कि pdf फाइल questionbranchlas@gmail.com पर मेल कर दी गई है तथा pendrive में भी दी जा रही है ।

संलग्नक: उपरोक्त.

भवदीय
(नफीस अहमद)
उप निदेशक
आर्थिक सहायता अनुभाग

एफ.स.40(193)/डी.डब्ल्यू.सी.डी./एफ.ए.एस./विधान सभा/अतारांकित प्रश्न स.211/2021-22/2858-92 दिनांक 25

सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय ब्लाक-9, दिल्ली-54 (150 प्रतियां संलग्न है)
3. प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, ISBT बिल्डिंग, दिल्ली -110006.

(नफीस अहमद)
उप निदेशक
आर्थिक सहायता अनुभाग

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्यालय), दिल्ली सरकार

विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

अतारांकित प्रश्न संख्या- 211

दिनांक :- 19/03/2022

प्रश्नकर्ता का नाम - माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती

क्या माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
क) एसी-43 में लाडली योजना में आवेदकों की सूची प्रदान करें,	लाडली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची विधान सभा वार नहीं बनाई जाती यह जिला वार बनाई जाती है। दक्षिण जिले में वर्ष 2021 अप्रैल से फरवरी 2022 तक 8002 आवेदको नें आवेदन किया है। सम्बंधित जानकारी संवेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।
ख) एसी-43 में लाडली योजना के लाभार्थियो की सूची, प्रदान करें;	लाडली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची विधान सभा वार नहीं बनाई जाती यह जिला वार बनाई जाती है। दक्षिण जिले में वितीय वर्ष 2021-22 अप्रैल से फ़रवरी 2022 तक 1813 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है । सम्बंधित जानकारी संवेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।
ग) एसी-43 में संकटग्रस्त महिलाओं की ओर से पुत्री के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची प्रदान करें;	वितीय वर्ष 2021-22 में एसी-43 में विधवा पुत्री के विवाह हेतु वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए जिसमे से 8 आवेदन संस्तुत हुए और 2 आवेदन निरस्त किये गए । प्राप्त आवेदनों की सूची से सम्बंधित जानकारी संवेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है ।
घ) एसी-43 के संकटग्रस्त महिलाओं के लिए योजना के अंतर्गत विधवा पेंशन की लाभार्थी महिलाओं की सूची प्रदान करें, और	एसी-43 के संकटग्रस्त महिलाओं के लिए योजना के अंतर्गत विधवा पेंशन की लाभार्ती महिलाओं की संख्या 2123 है । विधवा पेंशन की लाभार्थी महिलाओं की सूची से सम्बंधित जानकारी संवेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है ।
ड.) पति की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु के एक वर्ष की अवधि के अन्दर आवेदन करना होता है, जो महिलाएँ किसी कारणवश एक वर्ष की अवधि में आवेदन नहीं कर सकीं, उनके आवेदन स्वीकार करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव है?	विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए मृत्यु के एक वर्ष की अवधि के अन्दर आवेदन करने का कोई भी नियम नहीं है तथा दिल्ली पारिवारिक सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को तात्कालिक दी जाने वाली सहायता है। उक्त योजना जो कि समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है के अंतर्गत आवेदन की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी है। यदि प्रार्थी किन्ही अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष के अन्दर आवेदन जमा नहीं कर पता है तो संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कारणों के आधार पर आवेदन स्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं।

उप-निदेशक
(आर्थिक सहायता अनुभाग)

DD (FAS)
Deptt. of ... Development